



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2674-अ0प्र0-07/पाकालि/20-06-अ0प्र0-07/11

दिनांक 28/10/2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 13.02.2018 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये **श्री संजय कुमार गुप्ता (वरि0क्र0-9808)**, अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में उप सचिव (05ए) के पत्रांक-2550-अ0का0 एवं संत0-05(ए)/पाकालि/2020, दिनांक 27.10.2020 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में दोषमुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त किये जाने के दृष्टिगत उनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर उन्हें अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर नोशनल प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरि0क्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार गुप्ता/श्री छबिनाथ गुप्ता वि0/16.01.79/वाराणसी/9808	वि0वि0खं0-2, सीतापुर	मध्यांचल	2020272

- परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(क) एवं (ख) में निहित प्राविधानानुसार श्री संजय कुमार गुप्ता (वरि0क्र0-8665) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री दया शंकर यादव (वरि0क्र0-9810) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री संजय कुमार गुप्ता का वेतन उनके आसन्न कनिष्ठ श्री दया शंकर यादव, सहायक अभियन्ता के समतुल्य नोशनल प्रोन्नति के दिनांक से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें नोशनल प्रोन्नति के दिनांक से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।
- यह भी आदेश किये जाते हैं कि का0ज्ञा0सां0-440-काविनी/पाकालि-29/2000, दिनांक 01.06.2000 में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।
- उपरोक्त प्रोन्नति कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविप- 01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

(घ) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

6. उक्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से **दो माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

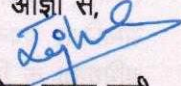
प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2674-अ0प्र0-07/पाकालि/2020/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारिषेण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-196-अनु0-01/सहा0अभि0/पदो0/2017-18, दिनांक 09.02.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
8. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
12. संबंधित अधिकारी।
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)